न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— शिव चरण मीना
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
121 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	07.12.2022	16.02.2023

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.............आवेदक

बनाम

1—श्री लीलाराम सिन्धी पुत्र खूबचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स प्रेम डिपार्टमेन्टल स्टोरे टाल वालों का मोहल्ला जयपुर रोड निवाई जिला टोंक निवासी गली नं. 2 सिन्धी कॉलोनी निवाई जिला टोंक
2—श्री सुरेश चन्द जैन स्व. श्री रूपचन्द जैन प्रोपरायटर मैसर्स सुरेश चन्द राहुल कुमार जैन जोहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक
3—श्री मुकेश कुमार रावत पुत्र श्री बद्रीनारायण प्रोपरायटर मैसर्स बद्रीश ट्रेडिंग कम्पनी 26 प्रताप नगर, गोलीमार गार्डन के पीछे आमेर रोड जयपुर राज.
...............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii), (iv) एवं दण्डनीय धारा 51, 52 व 58 में

उपस्थित—
1—पेरोकार सरकार।
2—अप्रार्थी सं. 1 व 2 उप.।

:—निर्णय—: **दिनांक 16.02.2023**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.08.2022 को समय 04:01 पी.एम पर मैसर्स प्रेम डिपार्टमेन्टल स्टोरे टाल वालों का मोहल्ला जयपुर रोड निवाई जिला टोंक पर पहुँचा। वहाँ पर श्री लीलाराम सिन्धी पुत्र खूबचन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री लीलाराम सिन्धी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **घी श्री शक्ति भोग ब्राण्ड (Ghee Shree Shakti Bhaog Brand)** के 450—450 ग्राम के लगभग 17 पैकेट पैक्ड अवस्था में रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री लीलाराम सिन्धी को फार्म न. 5ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर विक्रेता को सूचित कर प्रतियों में विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर मय मोहर किये तथा एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर बताकर कि यह **घी श्री शक्ति भोग ब्राण्ड (Ghee Shree Shakti Bhaog Brand)** जिसके बैच नम्बर 167 एवं पैकिंग की दिनांक जुलाई 2022 थी, वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया जा रहा है,

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

450–450 ग्राम के 4 पैक कुल 1800 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी श्री शक्ति भोग ब्राण्ड (Ghee Shree Shakti Bhaog Brand)** 450–450 ग्राम के 4 पैक के नियमानुसार चार भाग तैयार किए एवं चारों नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3263 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3263 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारो नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया एवं एक नमूना खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भेजा एवं नमूना जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बिल चाहे जाने पर श्री लीलाराम सिन्धी ने बतौर वारन्टी मैसर्स सुरेश चन्द राहुल कुमार जैन जोहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक का बिल पेश कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ कय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 2022 / 3309 दिनांक 19.09.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस. / 2698 / एक्ट / 2022 / 2731 दिनांक 08.09.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया **घी श्री शक्ति भोग ब्राण्ड (Ghee Shree Shakti Bhaog Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (3)(1)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** व रेगुलेशन नं. 2.3.7(2) के उल्लंघन के कारण **कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व (3)(1)(zx) का उल्लंघन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

आवेदक द्वारा मैसर्स सुरेश चन्द राहुल कुमार जैन जोहट्टी बाजार निवाई जिला टोंक से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स बद्रीश ट्रेडिंग कम्पनी 26 प्रताप नगर, गोलीमार गार्डन के पीछे आमेर रोड जयपुर राज. का बिल पेश किया। अतः आवेदक ने विकेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 2 उपस्थित हुए एवं बहस की एवं अपनी बहस में अप्रार्थीगणों की ओर से जुर्म

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

स्वीकार करते हुए न्यूनतम शास्ति आरोपित करने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **घी श्री शक्ति भोग ब्राण्ड (Ghee Shree Shakti Bhaog Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded), कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी श्री शक्ति भोग ब्राण्ड (Ghee Shree Shakti Bhaog Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded), कॉन्ट्रावेन (Contravene)** व **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii), (iv) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51, 52 व 58 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 20,000/—(अक्षरे बीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 16.02.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(शिव चरण मीना)
न्यायिक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक—राज0